

रिश्वत मामले में होमगार्ड को पकड़ा, फिर बताया निर्दोष

अलवर, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। ACB ने गुरुवार को अलवर कलेक्ट्रेट के होमगार्ड को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान होमगार्ड बार-बार कहता रहा। उसने रिश्वत नहीं ली लेकिन अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। मामले के दूसरे ही दिन शुक्रवार को ACB ने मामले झूठा बताकर होमगार्ड को छोड़ दिया। वहीं होमगार्ड के खिलाफ शिकायत करने वाले सहित तीन जनों को गिरफ्तार किया। तीनों ने ACB को झांसा देने के लिए फर्जी तरीके से बनाया ऑडियो पेश किया था।

होमगार्ड के खिलाफ शिकायत करने वाले सहित तीन गिरफ्तार मामले को लेकर ACB के डीएसपी महेंद्र ने कहा- हम इसान हैं। भगवान नहीं। हमें तथ्य गलत दिए इसलिए उसके अनुसार काम किया। मामला समझ आया तब दोषियों महबूब और कपिल को पकड़ा। कलेक्ट्रेट का होमगार्ड सहजुदीन निर्दोष है। ये था मामला ACB के डीएसपी महेंद्र ने बताया- शिकायतकर्ता महबूब अली के घर में झगड़ा चल रहा था। परिवार में उसके हिस्से की जमीन नहीं

मिली। इनकी जमीन को होमगार्ड सहजुदीन ने खरीद लिया था। तब महबूब ने होमगार्ड सहजुदीन को मना किया था



कि उनके घर की जमीन नहीं खरीदे। उसे हिस्सा नहीं मिला है। होमगार्ड ने बात नहीं मानी और जमीन का सौदा कर लिया। इसके बाद महबूब ने होमगार्ड को सबक सिखाने की ठान ली। महबूब ने इस बारे में अपने भाई मकसूद को बताया था। मकसूद ने नगर निवासी कपिल को सारी बात बताई। महबूब, मकसूद व कपिल ने षडयंत्र रचा। इसके बाद ACB में होमगार्ड की ओर से रिश्वत कांड की शिकायत की। ACB के सामने

षडयंत्र रचने वाले को बताया होमगार्ड ACB ने शिकायत का सत्यापन कराया। तब महबूब ने कपिल को होमगार्ड बना दिया। डीएसपी ने बताया हमारे कॉन्स्टेबल को दूर बैठा दिया था। इस बीच कपिल को होमगार्ड बनाकर नौकरी लगाने को लेकर रिश्वत मांगने की बात का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। ऑडियो को ACB को सुना दिया।

इसके बाद ट्रेप की कार्रवाई की गई। ट्रेप के समय की बातचीत ACB ने बाद में सुनी। तब पता लगा कि ट्रेप के समय होमगार्ड सहजुदीन ने भर्ती से संबंधित नहीं बल्कि प्लॉट के संबंध में बात की। यह सब करने में ACB ने देर कर दी। पहले ACB ने ट्रेप बता दिया। बाद में ऑडियो सुना तो मामला दूसरा निकला। इसके बाद ACB ने परिवारी बनकर बाद ACB में होमगार्ड की ओर से रिश्वत मांगने की शिकायत की। ACB के सामने

अलवर में होटल का निर्माणधीन भवन सील

अलवर, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। अलवर के 200 फीट रोड पर नमन होटल के आगे के निर्माणधीन भवन को UIT ने सील कर दिया है। वहीं सिलीसेडू बहाव क्षेत्र में बने नटनी हैरिटेज होटल मामले में 'कोर्ट' में सुनवाई है। दोनों यूआईटी तहसीलदार अनिल शर्मा ने बताया- जेईएन की रिपोर्ट के आधार पर नमन होटल के आगे बन रहे निर्माण को रोकने के लिए नोटिस दिया गया था लेकिन निर्माण नहीं रुका। अब नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद निर्माण को सील कर दिया है। यह निर्माणधीन जगह यूआईटी की है। होटल मालिक का इस पर कोई टाइटल नहीं है। होटल संचालक बोले- नियम अनुसार किया निर्माण नमन होटल संचालक संतराम ने बताया- उन्होंने अगल-बगल में बनी बिल्डिंग के अनुसार ही निर्माण किया है। यह गलत है तो सबका गलत है। तोड़ा जाए तो सब पर बराबर कार्यवाही हो। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उल्टा

उन्से रिश्वत मांगी गई। खुद को प्रशासन के अफसरों का दलाल बनाने वाले प्रदीप कुशवाह नाम के व्यक्ति ने 20 लाख रुपए की मांग की है। नटनी हैरिटेज होटल मामले में सुनवाई अलवर कोर्ट में नटनी हैरिटेज मामले में सुनवाई है। दोनों पक्षों को कोर्ट सुनेगा। इसके बाद जल्दी फैसला दे सकता है। असल में सिलीसेडू से आने वाले पानी के बहाव क्षेत्र में नटनी हैरिटेज होटल का निर्माण जारी है। जिसकी शिकायत के बाद पूरे बहाव क्षेत्र का सर्वे किया गया। सर्वे में भी नटनी हैरिटेज होटल को बहाव क्षेत्र मान कर नोटिस और बाद में उसे तोड़ने की कार्यवाही शुरू की। लेकिन प्रशासन ने दो दिन तक हल्का फुल्का निर्माण तोड़ा और होटल संचालक को कोर्ट से स्टे लाने का पूरा समय दिया। इसके बाद कोर्ट से स्टे आया और अब मामले की सुनवाई जारी है। फैसला आने पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

जयपुर सेंट्रल जेल में जेल प्रहरी पहुंचा रहा था मोबाइल

जयपुर, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। जयपुर सेंट्रल जेल में जेलप्रहरी के ही मोबाइल पहुंचने का मामला सामने आया है। ड्यूटी के बाद जेल प्रहरी ने ही पैकेट में बांधकर मोबाइल जेल के अंदर फेंके थे। जेल में फेंके गए तीन पैकेटों में मिले 22 मोबाइल को जब्त किया है। जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में शुकुवार शाम सत्रद्वक दर्ज करवाई गई है। SHO (लालकोठी) श्रीनिवास जांगिड़ ने बताया- जेल प्रशासन की ओर से शुकुवार शाम जेल प्रहरी संजय के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। शिकायत में बताया गया है कि आरोपी संजय पिछले काफी समय से जेल में प्रहरी के पद पर तैनात है। गुरुवार रात को ड्यूटी पूरी कर वह घर चला गया था। देर रात करीब 2:30 बजे से 3:30 बजे



के बीच वह वापस जेल के पास पहुंचा। जेल की दीवार के पास से करीब एक घंटे के अंतराल में तीन पैकेट फेंके। तीसरे पैकेट को फेंकने के दौरान ड्यूटी पर तैनात दूसरी जेल प्रहरी ने उसे देख दिया। पकड़े जाने के डर से आरोपी जेल

प्रहरी संजय वहां से भाग निकला। जेल के अंदर चैक करने पर फेंके गए तीन पैकेट में 22 मोबाइल रखे मिले। जेल प्रशासन की ओर से परिसर में मिले मोबाइल को जब्त किया गया। जेल प्रहरी संजय के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है।

डीयू में नवागंतुक छात्रों का एबीवीपी ने किया स्वागत

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों का कॉलेज गेट पर तिलक लगाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया एवं उनके सफल अकादमिक भविष्य हेतु शुभकामनाएं दीं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिए आज से नए सत्र का प्रारंभ हो चुका है, जिसको लेकर नवागंतुक छात्रों के बीच हर्षोल्लास का माहौल है तो वहीं छात्र अपने निवास एवं अन्य अकादमिक संबंधित विषयों

की समस्याओं को लेकर चिंतित भी हैं। इस क्रम में एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में नवागंतुक छात्रों की हर एक प्रकार की समस्याओं के समाधान की सुनिश्चिता देते हुए नवागंतुक छात्रों का तिलक लगाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया एवं उनके बेहतर अकादमिक भविष्य हेतु शुभकामनाएं दीं। एबीवीपी ने रामजस महाविद्यालय, हिंदू महाविद्यालय, किरोड़ीमल महाविद्यालय, मोतिलाल नेहरू महाविद्यालय, अदिति महाविद्यालय, श्यामलाल महाविद्यालय सहित दिल्ली विश्वविद्यालय के 50 अन्य

महाविद्यालयों में नवागंतुक छात्रों को तिलक लगाकर एवं उनकी सहायता कर स्वागत किया। विश्वविद्यालय में स्टेशन पर वेलकम फेशर्स की एक सुंदर रंगोली भी एबीवीपी ने बनाई। एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले हर एक छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। एबीवीपी छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं उनकी हर एक समस्याओं के समाधान के लिए कैम्पस परिसर में 365 दिन उपस्थित रहेगी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पहले दिन छात्रों को पीजी हॉस्टल, कॉलेज संबंध में विभिन्न जानकारीयां दीं।

ज्वेलर की हत्या-लूट का आरोपी पुलिस से भिड़ा

अलवर, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। भिवाड़ी के कमलेश ज्वेलर्स के मालिक की हत्या-लूट मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश को हरियाणा से पकड़ा। इस दौरान बदमाश पुलिस से भिड़ गया। धक्का-मुक्का में बदमाश नीचे गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश अनिल है और वह हरियाणा का रहने वाला है। आरोपी को भिवाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल जिला अस्पताल

को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और किसी को भी अस्पताल के आसपास नहीं आने और जाने दिया जा रहा है। इससे पहले पुलिस एक आरोपी प्रीत को गिरफ्तार कर चुकी है। 23 अगस्त की रात 7:30 बजे भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में कमलेश ज्वेलर्स में वारदात हुई थी। 5 बदमाशों ने शोरूम मालिक जयसिंह, उसके भाई मधुसूदन और बेटे वैभव से मारपीट की थी। जयसिंह और मधुसूदन को गोली मार दी थी। इलाज के दौरान जयसिंह की

मौत हो गई थी। इस वारदात में एक सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली लगी थी। गाई दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ था पहला आरोपी मामले में भिवाड़ी पुलिस ने बादली (दिल्ली) के रहने वाले प्रीत उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया। घटना के बाद प्रीत दिल्ली में छुपा हुआ था। पुलिस उसे वहीं से पकड़ कर सोमवार (26 अगस्त) शाम करीब 7:30 बजे भिवाड़ी लाई थी। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उसे 7 दिन के

लिए पुलिस रिमांड पर भेजा। बदमाश को पकड़ने में उसके चाचा ने ही सहयोग किया था। चाचा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। फोटो सर्कुलेट होने के बाद भिवाड़ी पुलिस को बदमाश की सूचना दी थी। शोरूम मालिक जयसिंह को लाटियों से पीटते समय प्रीत के चेहरे से रूमाल नीचे खिसक गया था। इस वजह से पुलिस को उसकी पहचान करने में सफलता मिली थी। शोरूम मालिक जयसिंह को लाटियों से पीटते समय प्रीत के चेहरे से रूमाल नीचे खिसक

गया था। इस वजह से पुलिस को उसकी पहचान करने में सफलता मिली थी। लजरी लाइफ के लिए लूट अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी लजरी लाइफ जीना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक बड़ी लूट का प्लान बनाया। उनके टारगेट पर राजस्थान में दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर से लगते आसानी से इंटर स्टेट बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। इसलिए बदमाशों ने भिवाड़ी को चुना।

असम सरकार के फैसले का अनुसरण करें देश की अन्य सरकारें: विहिप

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने असम की सरकार की ओर से मुस्लिम समाज के लोगों के लिए शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किये जाने के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि देश के अन्य राज्यों को भी इस तरह के कानून बनाने चाहिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने शुकुवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि असम में मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किये जाने से राज्य की बेटियों को शारीरिक उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा, इसके माध्यम से बाल विवाह की प्रथा और महिला अत्याचारों पर रोक लगेगी तथा नारी सशक्तीकरण

को बल मिलेगा। वास्तव में बहु विवाह को भी अपराध घोषित कर दिया, तो असम की नारियां तथा सभ्य समाज आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। धन्यवाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्य सरकारों को भी नारी सशक्तीकरण पहल का अनुसरण करके बाल विवाह, बहु विवाह, बहु संतान तथा हलाला जैसी नारी दोहनकारी कुप्रथाओं पर अंकुश लगा कर सभी नारियों को दत्तक, तलाक, भरण पोषण, संपत्ति में हिस्सा तथा पर्दा प्रथा से मुक्ति दिलानी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से बहु विवाह पर रोक लगाने, विवाहित महिलाओं को वैवाहिक घर में रहने, भरण पोषण आदि के अपने

अधिकार का दावा करने तथा विधवाओं को पति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का अधिकार के साथ अन्य लाभ तथा विशेष अधिकारों के लिए दावा करने में भी सहायता मिलेगी। महिला सशक्तीकरण की दिशा में असम सरकार का निर्णय अभूतपूर्व और अनुकरणीय है। उल्लेखनीय है कि असम विधानसभा ने गुरुवार (29 अगस्त) को असम मुस्लिम शादी और तलाक अनिवार्य विधेयक 2024 को पारित कर दिया। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों के लिए शादियां और तलाक रजिस्टर करने वाले 90 साल पुराने कानून- असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को रद्द हो जाएगा।

साहित्योत्सव जश्न-ए-अदब कल्चरल कारवां विरासत का आयोजन जयपुर में किया जाएगा

भारत भर के प्रसिद्ध कलाकार साहित्योत्सव जश्न-ए-अदब कल्चरल कारवां विरासत में मुख्य मंच पर होंगे

यह दो दिवसीय कार्यक्रम उत्कृष्ट प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है, जिसमें प्रवेश सभी के लिए

समारोह के बाद, शाम को दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के वादे के साथ सावरी ब्रदर्स कन्वेलो की अपनी मनोरम प्रस्तुति से समां बाँधेंगे। दूसरा दिन- 1 सितम्बर, 2024 (दोपहर 2:00 बजे से) कार्यक्रम का दूसरा दिन विभिन्न प्रस्तुतियों तथा गतिविधियों की एक श्रृंखला पर आधारित होगा। इस दिन के कार्यक्रम की शुरुआत यूसुफ खान करेंगे, जो एक अजूबे तत लोक वाद्य यंत्र- भंगम पर अपनी दिलकश प्रस्तुति से तमाम दर्शकों का मन मोह लेंगे। इसके बाद, भारतीय कला, संस्कृति और साहित्य पर आधारित एक विशिष्ट नाटक का आयोजन किया जाएगा। नाटक के आयोजन के उपरांत, अंजुम शर्मा, मनु ऋषि चड्ढा और फैजल मलिक द्वारा एक विशेष पैनल चर्चा की जाएगी, जो क्षेत्र की समृद्ध काब्य परंपरा पर प्रकाश डालेगी। इसके बाद, शाम में जान डालते हुए, कवि

सम्मेलन मुशायरा का शानदार आयोजन किया जाएगा, जिसकी कमान प्रोफेसर वसोम बरेलवी, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा और पद्मश्री अशोक चक्रधर एवं अन्य हस्तियों के हाथों में होगी। कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए, कवि तथा साहित्योत्सव जश्न-ए-अदब के संस्थापक, कृष्ण रंजीत चौहान ने कहा, साहित्योत्सव जश्न-ए-अदब कल्चरल कारवां विरासत एक हैदराबाद से जयपुर राज्य तक सफर कर रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोग भारतीय कला, संस्कृति और साहित्य की समृद्ध धारा से जुड़ रहे हैं। कई राज्यों में शानदार सफलता के बाद, हमें इस कार्यक्रम को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर जयपुर में लाने की खुशी है। नियुण, प्रसिद्ध और सम्मानित कलाकारों की उपस्थिति मंच की शोभा बढ़ाने का काम करती है। हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि आकर इन कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा को देखें।

डॉ. सोमनाथन ने कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. टी.जी. सोमनाथन ने शुकुवार को केंद्र में कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला। डॉ. सोमनाथन ने राजीव गाँवा की जगह ली है जो सेवानिवृत्ति हो गए हैं। कैबिनेट सचिव के रूप में शामिल होने से पहले, वह वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव और व्यय विभाग के सचिव का कार्यभार देख रहे थे। डॉ. सोमनाथन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएसएस) के 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के कार्यकारी विकास कार्यक्रम को भी पूरा किया है, और वह मान्यताप्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सचिव भी हैं। डॉ. सोमनाथन ने केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्य सरकारों को भी नारी सशक्तीकरण पहल का अनुसरण करके बाल विवाह, बहु विवाह, बहु संतान तथा हलाला जैसी नारी दोहनकारी कुप्रथाओं पर अंकुश लगा कर सभी नारियों को दत्तक, तलाक, भरण पोषण, संपत्ति में हिस्सा तथा पर्दा प्रथा से मुक्ति दिलानी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से बहु विवाह पर रोक लगाने, विवाहित महिलाओं को वैवाहिक घर में रहने, भरण पोषण आदि के अपने

असम सरकार के फैसले का अनुसरण करें देश की अन्य सरकारें: विहिप

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने असम की सरकार की ओर से मुस्लिम समाज के लोगों के लिए शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किये जाने के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि देश के अन्य राज्यों को भी इस तरह के कानून बनाने चाहिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने शुकुवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि असम में मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किये जाने से राज्य की बेटियों को शारीरिक उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा, इसके माध्यम से बाल विवाह की प्रथा और महिला अत्याचारों पर रोक लगेगी तथा नारी सशक्तीकरण

को बल मिलेगा। वास्तव में बहु विवाह को भी अपराध घोषित कर दिया, तो असम की नारियां तथा सभ्य समाज आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। धन्यवाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्य सरकारों को भी नारी सशक्तीकरण पहल का अनुसरण करके बाल विवाह, बहु विवाह, बहु संतान तथा हलाला जैसी नारी दोहनकारी कुप्रथाओं पर अंकुश लगा कर सभी नारियों को दत्तक, तलाक, भरण पोषण, संपत्ति में हिस्सा तथा पर्दा प्रथा से मुक्ति दिलानी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से बहु विवाह पर रोक लगाने, विवाहित महिलाओं को वैवाहिक घर में रहने, भरण पोषण आदि के अपने

एनजीटी ने शामली और सहारनपुर के डीएम को किया तलब, खोखरी नदी को पुनर्जीवित करने के निर्देश

उत्तराखंड की यात्रा पर धनखड़

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने मंगलवार को एक सख्त निर्देश जारी करते हुए शामली और सहारनपुर जिलों के जिलाधिकारियों को खोखरी नदी की खराब स्थिति पर अगली सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अधिकरण ने इन जिलों से होकर बहने वाली इस महत्वपूर्ण यमुना की सहायक नदी में बढ़ते प्रदूषण और नदी के क्षरण के मुद्दों को गंभीरता से लिया है। खोखरी नदी, जो यमुना की एक वर्षा-आधारित सहायक नदी है, सहारनपुर जिले में उत्पन्न होती है और शामली जिले के ख्वाजपुरा गांव में यमुना में मिलने से पहले सहारनपुर और शामली के कई गांवों से होकर गुजरती है। कभी इस क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाने वाली

यह नदी इन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। नदी का तल कई जगहों पर सूख गया है, जिसमें ठोस कचरे का अंबार लगा हुआ है और कई गांवों में अतिक्रमण फैल चुका है। कई बार पुनर्जीवन के प्रयासों के बावजूद, नदी की स्थिति और भी खराब हो गई है, जिसके कारण मार्च 2024 में एनजीटी के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। इसके बाद, एनजीटी ने पहले ही इन अधिकारियों को नदी के पुनर्जीवन के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने और अधिकरण के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 27 अगस्त को हुई सुनवाई में, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने की, एनजीटी ने नदी के पुनर्जीवन योजना को लागू करने में प्रगति

की कमी पर असंतोष व्यक्त किया। यह पुनर्जीवन योजना शामली और सहारनपुर के सिंचाई विभाग द्वारा तैयार की गई थी और एनजीटी को प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, अधिकरण ने चिंता व्यक्त की कि इस योजना को उच्च अधिकारियों से मंजूरी या इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धन आवंटन नहीं किया गया है। इसके अलावा, शामली और सहारनपुर के जिलाधिकारियों ने अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। चूंकि यह नदी यमुना की सहायक नदी है, जो अंततः समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 27 अगस्त को हुई सुनवाई में, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने की, एनजीटी ने नदी के पुनर्जीवन योजना को लागू करने में प्रगति

उपराष्ट्रपति ने कोलकाता चिकित्सक दुष्कर्म-हत्याकांड की निंदा की

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक प्रसिद्ध महिला चिकित्सक के कथित बलात्कार और हत्या की वारदात को 'दर्दनाक' घटना करार देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसे अपराधों के लिए अपराधियों को दंडित करने के वास्ते एक निवारक व्यवस्था बनाने का शुक्रवार को आह्वान किया। 'पीटीआई' के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष लेख का जिक्र करते हुए धनखड़ ने उनकी राय दोहराई कि बस! बहुत हो चुका। "महिलाओं की सुरक्षा = बस! बहुत हो चुका!" शीर्षक वाला यह लेख आरजी कर अस्पताल में नैनी आरस्त को हुई दर्दनाक घटना पर राष्ट्रपति की पहली प्रतिक्रिया थी।

गए कुछ उपायों को अपनाने से इनकार किया

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार जिनकी सुरक्षा के दायरे को हाल ही में बढ़ाकर जे-प्लस

किया गया था, को लेकर माना जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सुझाए गए कुछ उपायों को मानने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की

गई सुरक्षा समीक्षा के बाद पवार को के दौरेा रिजर्व पुलिस बल गए कुछ उपायों को मानने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की

ICICI Home Finance कापॉरैट कार्यालय: आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरे - कुर्ली रोड, अंधेरे (पूर्व), मुंबई - 400059, भारत

शाखा कार्यालय: पहली मंजिल, सोनी टॉवर, रोड नंबर 2, मेव बॉस्टिंग के पास, अलवर - 301001

(नियम 8(6) का पालन देखें)

अच्छे संपत्तियों की थिकी हेतु सूचना

वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिबिम्बित और पुनर्विनिर्माण और सुरक्षा तिन प्रबंधन अधिनियम, 2002 के तहत अल्पतः सर्विसों की थिकी के लिए ई-नीलामी थिकी सूचना, सुरक्षा तिन (प्रबंधन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित।

इसके अलावा सम्पूर्ण से जन्म से अतिरिक्त वयस्क के साथ कुल कर्तव्य का भुगतान करने का अखिरी मौका दिया गया है। अन्यत्र से सुरक्षित सर्विसों उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत बेची जाएगी।

संपत्तियां नीलामीदारों को बचाने नहीं जानें (ड्रॉप्टी) अटॉर्नीजल/डिमांड ड्रॉप्ट (डौट्टी) (कॉलम ई देखें) लेख के तहत पर उल्लेखित आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कालियन पत्र पर 03 अक्टूबर, 2024 को प्राप्त 04:00 बजे से पहले जमा करना होगा। संपत्तियां नीलामीदारों को फंक्चरिंग परम और थिकी की इन्वॉल्वमेंट प्रतिलेख आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कालियन के पत्र पर 03 अक्टूबर, 2024 को प्राप्त 05:00 बजे से पहले या उसके पहले लेख के तहत पर उल्लेखित पत्र पर जमा करनी होगी। कालियन तिन जमा फंक्चरिंग ड्रॉप्ट (डौट्टी) कालियन ड्रॉप्ट/अनुपस्थिति के तहत पर 03 अक्टूबर, 2024 को प्राप्त 05:00 बजे से पहले या उसके पहले लेख के तहत पर उल्लेखित पत्र पर जमा करनी होगी। नीलामी का निर्दिष्ट आया करने के निर्दिष्ट, नियम और शर्तों के संबंध में थिकी की अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807200 पर संपर्क करें। प्राथमिक अतिरिक्त थिकी करंट और बचत बचत थिकी की या सभी थिकी के अतिरिक्त बचत का अतिरिक्त सुरक्षा तिन। थिकी के विस्तृत विवरण और शर्तों के लिए, कृपया <http://www.icicihlf.com/> पर जाएं।

दिनांक: 31 अगस्त, 2024

स्थान: अलवर

प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
CIN Number- U65922MH1999PLC120106